न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 444 सन 2022

अनवान :–

1. रणजीत सिह पुत्र भैरसिह जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मैना पुत्री राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
2. सावत्री पुत्री राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
3. सरबती पुत्री राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
4. महावीर पुत्र राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
5. भैरसिह पुत्र राधादेवी राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. पार्वती पुत्री राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
7. प्रतापसिह पुत्र राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. इन्द्रावती पुत्री राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
9. इन्द्रावती उर्फ इमरती पुत्री राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. सीमा पुत्री शान्ति पुत्री राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. लिछमा पुत्री शान्ती पुत्री राधादेवी जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर ।
12. कलावती पुत्री शान्ति पुत्री राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. गिरदावरी पुत्री शान्ती पुत्री राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. जमना पुत्री शान्ती पुत्री राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. बलवीर पुत्र शान्ती पुत्री राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. कृष्ण कुमार पुत्र मोहिनी पुत्री शान्ती जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
17. सावित्री पुत्री मोहिनी पुत्री शान्ती जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
18. सुमन पुत्री महावीर जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
19. मनीष पुत्र राकेश नाबालिग जरिये सरंक्षिका नानी कमला पत्नी भैरसिह जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
20. अभिषेक पुत्र राकेश नाबिलग जरिये सरंक्षिका नानी कमला पत्नी भैरसिह जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
21. दयाराम पुत्र भैरसिह जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
22. सुलेन्द्र सिह पुत्र महावीर जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
23. श्योनारायण पुत्र महावीर जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
24. विनोद कुमार पुत्र महावीर जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
25. विक्रमसिह पुत्र प्रतापसिह जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
26. मुकेश चन्द्र पुत्र प्रतापसिह जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 29/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner

की रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 95/81 की कुल 18.9240हैक भूमि वादी एव प्रतिवादीगण के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में राधादेवी पत्नी सुरजाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से उनके पुत्र पुत्रीयो के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाते में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 जो वादी की बुआ/पिता/चाचा है एव प्रतिवादी संख्या 18 ता 20 महावीर एवं मृतक बहन राकेशदेवी के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 21 ता 26 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 21 ता 26 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 जो एक ही परिवार के सदस्य है के नाम से दर्ज भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 21 ता 26 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके राधादेवी पत्नी सुरजाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता/भतिजो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 21 ता 26 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 21 ता 26 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 21 ता 26 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 27 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 95/81 की कुल 18.9240हैक भूमि वादी एव प्रतिवादीगण के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में राधादेवी पत्नी सुरजाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से उनके पुत्र पुत्रीयो के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाते में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 जो वादी की बुआ/पिता/चाचा है एव प्रतिवादी संख्या 18 ता 20 महावीर एवं मृतक बहन राकेशदेवी के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 21 ता 26 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 21 ता 26 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646

उपखण्डाधिकारी (राजस्व
कोटा

प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 95/81 की कुल 18.9240हैक भूमि वादी एव प्रतिवादीगण के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 21 ता 26 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 95/81 की कुल 18.9240हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 21 बहिब 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 22 ता 24 बहिब 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 25 ,26 बहिब 1/3 हिस्सा भूमि खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रणजीत सिह पुत्र भैरसिह जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1 मैना पुत्री राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
2. सावत्री पुत्री राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
3. सरबती पुत्री राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
4. महावीर पुत्र राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
5. भैरसिह पुत्र राधादेवी राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. पार्वती पुत्री राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
7. प्रतापसिह पुत्र राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर ।
8. इन्द्रावती पुत्री राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
9. इन्द्रावती उर्फ इमरती पुत्री राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट नि. ललानिया त. नोहर।
10. सीमा पुत्री शान्ति पुत्री राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट नि. ललानिया तह. नोहर ।
11. लिछमा पुत्री शान्ती पुत्री राधादेवी जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर ।
12. कलावती पुत्री शान्ति पुत्री राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. गिरदावरी पुत्री शान्ती पुत्री राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. जमना पुत्री शान्ती पुत्री राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. बलवीर पुत्र शान्ती पुत्री राधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. कृष्ण कुमार पुत्र मोहिनी पुत्री शान्ती जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
17. सावित्री पुत्री मोहिनी पुत्री शान्ती जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
18. सुमन पुत्री महावीर जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
19. मनीष पुत्र राकेश नाबालिग जरिये सरंक्षिका नानी कमला पत्नी भैरसिह जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
20. अभिषेक पुत्र राकेश नाबिलग जरिये सरंक्षिका नानी कमला पत्नी भैरसिह जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
21. दयाराम पुत्र भैरसिह जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
22. सुलेन्द्र सिह पुत्र महावीर जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
23. श्योनारायण पुत्र महावीर जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
24. विनोद कुमार पुत्र महावीर जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
25. विक्रमसिह पुत्र प्रतापसिह जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
26. मुकेश चन्द्र पुत्र प्रतापसिह अजाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 444 सन 2022 निर्णय दिनांक– 29/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 95/81 की कुल 18. 9240हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 21 बहिब 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 22 ता 24 बहिब 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 25 ,26 बहिब 1/3 हिस्सा भूमि खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/6/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner